2019 का विधेयक संख्यांक 127

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन

3. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन ।

4. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की राष्ट्रीय महत्ता की संस्था के रूप में घोषणा ।

5. केंद्र की संरचना ।

6. अध्यक्ष और सदस्यों, आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

अध्याय 3

सोसाइटी के उपक्रमों का अर्जन और अंतरण

7. अंतरण और विहित होना ।

8. विहित होने का साधारण प्रभाव ।

9. विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व दायित्व ।

10. केंद्रीय सरकार की उपक्रम के केंद्र में निहित करने का निदेश देने की शक्ति ।

11. उपक्रमों, आदि का प्रबंधन ।

12. उपक्रमों के प्रबंधन के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियों के परिदान का कर्तव्य ।

13. केंद्रीय सरकार या केंद्र की कतिपय शक्तियां ।

14. केंद्र के उद्‌देश्य ।

15. केन्द्र के कृत्य ।

16. रिक्तियों, आदि का केन्द्र की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

17. सदस्यों का त्यागपत्र ।

18. सदस्यों का हटाया जाना ।

19. केन्द्र की समितियां ।

20. केन्द्र की बैठकें ।

21. मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।

22. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

23. सचिवालय ।

खंड

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

24. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।
25. केन्द्र की निधि ।
26. लेखा और संपरीक्षा ।
27. उपक्रम की आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण ।

अध्याय 5

माध्यस्थम् चैंबर और माध्यस्थम् अकादमी

28. माध्यस्थम् चैंबर ।
29. माध्यस्थम् अकादमी ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

30. नियम बनाने की शक्ति ।
31. विनियम बनाने की शक्ति ।
32. नियमों और विनियमों का रखा जाना ।
33. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
34. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
35. निरसन और व्यावृत्ति ।

2019 का विधेयक संख्यांक 127

[दि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2019

सांस्थानिक माध्यस्थम् के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था का सृजन करने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना तथा उसका निगमन करने और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए तथा माध्यस्थम् के बेहतर प्रबंधन के लिए उपक्रमों को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में निहित करने के प्रयोजनों के लिए, जिससे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को संस्थागत माध्यस्थम् का केन्द्र बनाया जा सके और उसे एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित करने के लिए तथा उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

विवाद समाधान प्रक्रिया का भारतीय अर्थव्यवस्था पर और हमारे देश में कारबार करने के वैश्विक बोध पर एक व्यापक प्रभाव है तथा वाणिज्यिक विवादों के मुकदमेबाजों के बीच विश्वास और साख प्रेरित करने के लिए यह आवश्यक हो गई है ;

और तेजी से परिवर्तित हो रहे आर्थिक कार्यकलाप विवादों के शीघ्र परिनिर्धारण तथा सांस्थानिक माध्यस्थम् के सृजन और स्थापना की मांग करते हैं ;

और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र की वर्ष 1995 में स्थापना केंद्रीय सरकार के तत्वावधान में की गई थी और इसे विकल्पी विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करने के उद्देश्य और उसके लिए सुविधाओं का उपबंध करने के लिए सोसाइटी

1860 का 21 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया था ;

और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र को अवसंरचना का संनिर्माण करने और अन्य सुविधाओं को बनाने के लिए अनुदानों और अन्य फायदों के माध्यम से केंद्रीय सरकार से भूमि और सारवान् वित्तपोषण प्राप्त हुआ है ;

और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र दो से अधिक दशकों से सक्रिय रूप से माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित होने और उसमें हुए विकास को आत्मसात करने तथा माध्यस्थम् की परिवर्तनशील प्रकृति के साथ गति बनाए रखते हुए उत्कृष्टता की छवि तैयार करने, में समर्थ नहीं हुआ है ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय प्राप्त समिति द्वारा संचालित अध्ययनों ने यह उपदर्शित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र सांस्थानिक माध्यस्थम् की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने और अनुकूलतम मुकदमों को संभालने तथा माध्यस्थम् के पक्षकारों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने में असफल रहा है ;

और अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों, जिनके अंतर्गत उसके प्रादेशिक कार्यालय भी हैं, को उसके कार्यकलापों में बिना किसी हस्तक्षेप के संभालना और एक सोसाइटी के रूप में उसके चरित्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, किंतु उसकी विद्यमान अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का उपयोग करना, जिनकी स्थापना सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई लोक निधियों का उपयोग करते हुए की गई है, और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के नाम से ज्ञात एक सुदृढ़ संस्था का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए निगमन करना समीचीन हो गया है ;

और त्वरित और दक्ष विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करके नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र को उसके एक प्रमुख माध्यस्थम् हब के रूप में समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय महता की एक संस्था के रूप में घोषित करना आवश्यक समझा गया है ;

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2019 है ।

(2) यह 2 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" से धारा 5 के खंड (क) में निर्दिष्ट केंद्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से धारा 21 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "समिति" से धारा 19 में निर्दिष्ट केंद्र की सुसंगत समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "केंद्र" से धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अभिप्रेत है ;

(ङ) "अभिरक्षक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन उपक्रमों के संबंध में अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(च) "निधि" से धारा 25 के अधीन केंद्र की अनुरक्षित निधि अभिप्रेत है ;

(छ) "सदस्य" से केंद्र का पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;

(ज) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत हैं ;

(झ) "विहित" से केंद्रीय सरकार द्वारा इस विधेयक के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ञ) "विनियम" से केन्द्र द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

1860 का 21

(ट) "सोसाइटी" से, उस रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र, जिसका नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, अभिप्रेत है ;

(ठ) "विनिर्दिष्ट तारीख" से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख अभिप्रेत है ;

(ड) "उपक्रम" से सोसाइटी के उपक्रम अभिप्रेत हैं, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं ।

1996 का 26

(2) सभी अन्य शब्द और पद, जिनका इसमें प्रयोग किया गया है, किंतु परिभाषित नहीं किया गया है और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो उनका उस अधिनियम में है ।

अध्याय 2

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना और निगमन ।

3. (1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस विधेयक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगी ।

(2) केंद्र पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस विधेयक के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की राष्ट्रीय महत्ता की संस्था के रूप में घोषणा ।

4. (1) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उसे राष्ट्रीय महत्ता की संस्था बनाते हैं, यह घोषित किया जाता है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र एक राष्ट्रीय महत्ता की संस्था है ।

(2) केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली होगा और यह केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारत और विदेश में अन्य स्थानों पर शाखाएं स्थापित कर सकेगा ।

केंद्र की संरचना ।

5. केंद्र निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्त कोई व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या माध्यस्थम् के संचालन या प्रशासन, विधि या प्रबंध में विशेष जानकारी रखने वाला विख्यात व्यक्ति — अध्यक्ष ;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा माध्यस्थम् घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्त सांस्थानिक में सारवान् ज्ञान और अनुभव रखने वाले दो विख्यात व्यक्ति —

पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर चयनित वाणिज्य और उद्योग के मान्यताप्राप्त निकाय का एक प्रतिनिधि — अंशकालिक सदस्य ;

(घ) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार या संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का उसका प्रतिनिधि — सदस्य, पदेन ;

(ङ) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सलाहकार — सदस्य, पदेन ; और

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी — सदस्य, पदेन ।

अध्यक्ष और सदस्यों, आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

6. (1) अध्यक्ष और सदस्य, पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु कोई अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा संदेय वेतन और भत्ते, वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष पदावधि होगी, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है ।

(4) अंशकालिक सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो विहित किए जाएं ।

अध्याय 3

सोसाइटी के उपक्रमों का अर्जन और अंतरण

अंतरण और निहित होना ।

7. विनिर्दिष्ट तारीख से ही सोसाइटी के उतने उपक्रम, जो सोसाइटी का एक भाग हैं या उससे संबंधित हैं और ऐसे उपक्रमों के संबंध में सोसाइटी का अधिकार, हक और हित इस अध्यादेश के कारण केंद्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे तथा उसमें निहित होंगे ।

निहित होने का साधारण प्रभाव ।

8. (1) धारा 7 के अधीन विहित उपक्रमों में सोसाइटी की सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी संपत्ति (जंगम और स्थावर), जिसके अंतर्गत भूमि, भवन, संकर्म, परियोजनाएं, लिखत, आटोमोबाइल और अन्य यान, नकद शेष, निधियां हैं, जिन निधियों में आरक्षित निधियां, विनिधान और लेखा बही ऋण, जो सोसाइटी के भाग हैं या उससे संबंधित हैं भी सम्मिलित हैं और ऐसी संपत्तियों से उद्भूत अन्य अधिकार और हित, जो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्व सोसाइटी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे तथा सभी लेखा बहियां, रजिस्टर तथा उनसे संबंधित किसी भी प्रकृति के अन्य सभी दस्तावेज, सोसाइटी में निहित हो जाएंगे ।

2019 का अध्यादेश सं. 10

(2) यथा पूर्वोक्त सभी संपत्तियां और आस्तियां, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं, ऐसे निहित करने के कारण मुक्त होंगी और किसी न्यास, बाध्यता, आडमन, प्रभार, धारणाधिकार और सभी अन्य विलंगम, जो उन्हें प्रभावित करते हैं या कोई कुर्की, व्यादेश, डिक्री या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी का ऐसी परिसंपत्तियों या आस्तियों के किसी रीति में इस्तेमाल को निर्बंधित करने का आदेश या ऐसी संपूर्ण परिसंपत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग के संबंध में किसी प्रापक की नियुक्ति को प्रतिसंहृत किया गया नहीं समझा जाएगा ।

(3) सोसाइटी को किसी उपक्रम के संबंध में अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं, किसी समय विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व और विनिर्दिष्ट तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, ऐसी तारीख को और उसके पश्चात् उनके संबंध में अपनी पदावधि के लिए तथा ऐसे उपक्रम के प्रयोजन के लिए जारी रहेंगे या जहां उपक्रमों को धारा 10 के अधीन केंद्र में निहित होने का निदेश किया गया है, केंद्र को ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत केंद्र को अनुदत्त किए गए हैं और केंद्र उस शेष अवधि के लिए उन्हें प्रतिधारित करेगा, जिसके लिए सोसाइटी उनको उनके निबंधनों के अधीन धारित करती ।

(4) यदि विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी परिसंपत्ति या आस्ति, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित है, के संबंध में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे किसी भी प्रकृति की हो, सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध आरंभ की जाती है या है, लंबित है, का उपशमन नहीं किया जाएगा, उसे बंद नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार से सोसाइटी में उपक्रमों के अर्जन के कारण इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी, किंतु केंद्रीय सरकार द्वारा या केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध या जहां सोसाइटी के उपक्रमों को धारा 10 के अधीन केंद्र में निहित होने का निदेश दिया गया है, वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को, अभियोजन को जारी रखा जा सकेगा या उसे प्रवर्तन में लाया जा सकेगा ।

विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व दायित्व ।

9. विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी अवधि की बाबत किसी उपक्रम के संबंध में प्रत्येक दायित्व सोसाइटी के विरुद्ध और न कि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा ।

केंद्रीय सरकार की उपक्रम के केंद्र में निहित करने का निदेश देने की शक्ति ।

10. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 7 और धारा 8 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि ऐसे उपक्रम और ऐसे उपक्रमों की बाबत सोसाइटी के अधिकार, हक और हित, जो धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित थे, या तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी पूर्वत्तर या पश्चातवर्ती तारीख को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्र में निहित होंगे ।

(2) जहां सोसाइटी के किन्हीं उपक्रमों की बाबत उपधारा (1) के अधीन अधिकार, हक और हित केंद्र में निहित हैं, केंद्र ऐसे निहित होने की तारीख से ही ऐसे उपक्रमों की बाबत स्वामी समझा जाएगा और ऐसे उपक्रमों की बाबत केंद्रीय सरकार के हित और उत्तरदायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से ही क्रमश: केंद्र के अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

उपक्रमों, आदि का प्रबंध ।

11. (1) उपक्रमों, अधिकार, हित, जिनके संबंध में साधारण अधीक्षण, निदेश, नियंत्रण और प्रबंधन धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार में निहित हैं,—

(क) जहां धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश दिया गया है, केंद्र में निहित होगा ; या

(ख) जहां केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है, उपधारा (2) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक में निहित होगा,

और तदुपरांत, यथास्थिति, केंद्र या इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करने का और ऐसे सभी कृत्यों को करने का हकदार होगा, जैसे सोसाइटी अपने उपक्रमों की बाबत उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है ।

(2) केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसे उपक्रमों की बाबत, जिनके संबंध में धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश नहीं दिया गया है, अभिरक्षक नियुक्त कर सकेगी ।

(3) इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो केंद्रीय सरकार नियत करे और केंद्रीय सरकार के प्रसाद-पर्यंत पद धारण करेगा ।

उपक्रमों के प्रबंधन के भारसाधक व्यक्तियों का सभी आस्तियों के परिदान का कर्तव्य ।

12. (1) केंद्र में उपक्रमों के प्रबंधन को निहित करने या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन किसी अभिरक्षक की नियुक्ति पर ऐसे निहित करने या नियुक्ति से तुरंत पूर्व उपक्रमों के प्रबंधन के भारसाधक सभी व्यक्ति, यथास्थिति, केंद्र या अभिरक्षक को अपनी अभिरक्षा में उपक्रमों से संबंधित सभी आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे ।

(2) केंद्रीय सरकार अभिरक्षक को अभिरक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और अभिरक्षक भी यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है तो किसी भी समय केंद्रीय सरकार को उस रीति, जिसमें उपक्रमों के प्रबंधन का संचालन किया जाना है, के संबंध में या ऐसे प्रबंधन के अनुक्रम में उद्भूत किसी अन्य विषय के संबंध में अनुदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जिसके पास या जिसके नियंत्रणाधीन विनिर्दिष्ट तारीख को उपक्रमों के संबंध में कोई बहियां, दस्तावेज या अन्य कागज-पत्र हैं, ऐसी बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक के प्रति जवाबदेह होगा और उन्हें केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को परिदत्त करेगा, जैसा इस निमित्त केंद्रीय सरकार या केंद्र विनिर्दिष्ट करे ।

(4) केंद्रीय सरकार या केंद्र ऐसे सभी उपक्रमों, जिनको इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या केंद्र में निहित किया गया है, को कब्जे में लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ।

(5) सोसाइटी ऐसी कालावधि के भीतर, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, उस सरकार को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, **2019** के प्रारंभ होने की तारीख को उपक्रमों के संबंध में अपनी सभी परिसंपत्तियों और आस्तियों की एक पूर्ण माल सूची प्रस्तुत करेगी, जो नियत तारीख को इस प्रयोजन के लिए उपक्रमों से संबंधित है, केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र, सोसाइटी को सभी युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान करेगा ।

केंद्रीय सरकार या केंद्र की कतिपय शक्तियां ।

13. केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र विनिर्दिष्ट तारीख तक सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए किसी धन, जो सोसाइटी के उपक्रमों की बाबत सोसाइटी को शोध्य है, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या केंद्र में निहित है, जिसकी इस नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ के पश्चात् वसूली की गई है, इस बात के होते हुए कि वसूली नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी कालावधि के लिए है, को प्राप्त करने की हकदार होगी ।

2019 का अध्यादेश सं. 10

केंद्र के उद्देश्य ।

14. केंद्र के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे,—

(क) स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थम् संचालित करने के लिए एक अग्रणी संस्था के रूप में विकास करने के लिए लक्ष्यित सुधार करना ;

(ख) माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता और अन्य विकल्पी विवाद समाधान विषयों में अनुसंधान और अध्ययन का संवर्धन करना, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा संगोष्ठियां और सेमिनार आयोजित करना ;

(ग) सुलह, मध्यकता और माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना ;

(घ) प्रत्यायित माध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और मध्यकर्तों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर या विशेषज्ञों का सर्वेक्षकों और जांचकर्ताओं के रूप में पैनल रखना ;

(ङ) अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के साथ केंद्र की मध्यस्थता और सुलह में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में साख को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना ;

(च) केंद्र के कार्यकलापों का संवर्धन करने के लिए भारत और विदेश में सुविधाएं स्थापित करना ;

(छ) केंद्र द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए विकल्पी विवाद समाधान तंत्रों के विभिन्न ढंगों के लिए पैरामीटर अधिकथित करना ; और

(ज) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से उचित समझे जाएं ।

केन्द्र के कृत्य ।

15. धारा 14 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्र निम्नलिखित के लिए प्रयास करेगा,—

(क) अत्यधिक वृत्तिक रीति में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थमों और सुलह के संचालन को सुकर बनाने;

(ख) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माध्यस्थमों और सुलह के संचालन के लिए सस्ती और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने;

(ग) विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में अध्ययनों का संवर्धन करने और विवाद समाधान की प्रणाली में सुधारों का संवर्धन करने;

(घ) विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में अध्यापन प्रारंभ करने और विधि तथा प्रक्रियाओं के ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करने और प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षणिक या वृत्तिक उपाधियों को प्रदान करने;

(ङ) विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, जो माध्यस्थम्, सुलह और मध्यकता संबंधी कार्यवाही कर रहे हैं;

(च) विकल्पी विवाद समाधान का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अन्य सोसाइटियों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करने ; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करने, जो विकल्पी विवाद समाधान का संवर्धन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

रिक्तियों, आदि का केन्द्र की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना ।

16. केन्द्र की कोई कार्रवाई या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) केन्द्र में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) केन्द्र के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में

कोई त्रुटि है ; या

(ग) केन्द्र की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

सदस्यों का त्यागपत्र ।

17. अध्यक्ष या पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सदस्य, लिखित में केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपनी हस्ताक्षरयुक्त सूचना देकर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे उससे पूर्व उसका पद त्याग करने की अनुमति न दी जाए, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उसका पदग्रहण करने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पदधारण करना जारी रखेगा ।

सदस्यों का हटाया जाना ।

18. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकेगी, यदि,—

(क) वह कोई अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ख) वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय (अंशकालिक सदस्य के सिवाय) किसी संदाययुक्त नियोजन में नियोजित होता है ; या

(ग) उसे किसी ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है ; या

(च) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य को उस उपधारा के खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त उसे किए गए किसी प्रतिनिर्देश पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार उसके द्वारा की गई जांच पर यह रिपोर्ट न किया गया हो कि सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर हटाया जाना आवश्यक है ।

केन्द्र की समितियां ।

19. (1) केन्द्र ऐसी समितियों का गठन करेगा, जो उसके द्वारा उसके कृत्यों के विभिन्न पहलुओं के प्रशासन के लिए आवश्यक समझी जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समितियों की संरचना और उनके कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(3) समिति ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर अपनी बैठक करेगी और वह अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों, जिनके अंतर्गत गणपूर्ति भी है, पालन करेगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

केन्द्र की बैठकें ।

20. (1) अध्यक्ष सामान्य रूप से केन्द्र की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु उसकी अनुपस्थिति में, अन्य सदस्यों द्वारा उनके बीच में से चुना गया सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि केन्द्र द्वारा लिए गए

विनिश्चयों का कार्यान्वयन किया जाता है ।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित किए जाएं ।

(4) केन्द्र एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में ऐसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, का ऐसी रीति में अनुपालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) ऐसे सभी प्रश्नों, जो किसी बैठक के दौरान केन्द्र के समक्ष आते हैं—

(क) का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास निर्णायक मत होगा ;

(ख) के संबंध में यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और केन्द्र उनका निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करेगा:

परंतु जहां ऐसे किसी आवेदन का निपटारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जा सका था, वहां केन्द्र उक्त आवेदन का उस अवधि के भीतर निपटारा न करने के लिए कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेगा ।

(6) अध्यक्ष केन्द्र की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी विशेषज्ञ को, जो सदस्य नहीं है, आमंत्रित कर सकेगा । किन्तु ऐसा आमंत्रिती बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।

21. (1) केन्द्र का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो केन्द्र के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और वह इस प्रयोजन के लिए केन्द्र और सचिवालय के बीच सम्पर्क बनाए रखेगा ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो केन्द्र द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

22. केन्द्र, अपनी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, एक साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित शक्तियों (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) और कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनका प्रयोग या निर्वहन केन्द्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा और साथ ही वह ऐसी शर्तों और निर्बंधनों, यदि कोई हों, को भी विहित करेगा, जिनके अधीन शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन किया जा सकेगा ।

सचिवालय ।

23. (1) केन्द्र का एक सचिवालय होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) रजिस्ट्रार जो केन्द्र के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा ;

(ख) काउंसेल, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करेगा ; और

(ग) ऐसी संख्या में अन्य अधिकारी और कर्मचारी, जो विहित की जाए ।

(2) रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताएं, अनुभव, चयन की पद्धति और कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

24. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् केन्द्र को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का और ऐसी रीति में, जिसे वह उचित समझे, संदाय कर सकेगी, जिनका उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

केन्द्र की निधि ।

25. (1) केन्द्र एक निधि बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी धनराशियों ;

(ख) माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता या अन्य कार्यवाहियों के दौरान या उनके संबंध में प्राप्त सभी फीसों और अन्य प्रभारों ;

(ग) केन्द्र द्वारा पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसुविधाओं हेतु उसे प्राप्त सभी धनराशियों;

(घ) केन्द्र द्वारा संदानों, अनुदानों, अभिदायों और अन्य स्रोतों से आय के रूप में प्राप्त सभी धनराशियों; और

(ङ) निवेश की गई आय से प्राप्त रकमों ।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशियों को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसी रीति में उनका निवेश किया जाएगा, जैसा कि केन्द्र द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

(3) निधि का उपयोग सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों के संदाय की पूर्तियों के लिए और केन्द्र के व्ययों के लिए किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं ।

लेखा और संपरीक्षा ।

26. (1) केन्द्र समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति में लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है ।

(2) केन्द्र के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत व्यय केन्द्र द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उनके द्वारा केन्द्र के लेखाओं की संपरीक्षाओं के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पास सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उनके पास विशिष्ट रूप से बहियों, लेखाओं, संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और केन्द्र के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उनके द्वारा केन्द्र के लेखाओं की संपरीक्षाओं के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित केन्द्र के लेखाओं को, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

उपक्रम की आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण ।

27. इस अधिनियम के अधीन किसी उपक्रम के संबंध में आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, करवाया जाएगा और उसके संबंध में किए गए किसी दावे के संबंध में किसी संदाय का समाधान, उसके द्वारा सोसाइटी और

केन्द्रीय सरकार के बीच कराया जाएगा और उसका संदाय, यथास्थिति, सोसाइटी या केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

अध्याय 5

माध्यस्थम् चैंबर और माध्यस्थम् अकादमी

माध्यस्थम् चैंबर ।

28. (1) केन्द्र एक माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना करेगा, जो मध्यस्थों के एक स्थायी पैनल को बनाए रखने के लिए मध्यस्थों को पैनलबद्ध करेगा और साथ ही विख्यात मध्यस्थों के पैनल में प्रविष्टि हेतु आवेदनों की संवीक्षा करेगा ।

(2) माध्यस्थम् चैंबर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभव प्राप्त विख्यात माध्यस्थम् व्यवसायियों और ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, जिनके पास विकल्पी विवाद समाधान और सुलह के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है ।

(3) केन्द्र, विनियमों द्वारा काडर के पैनल में प्रवेश हेतु मानदंड अधिकथित करेगा, जिससे विख्यात मध्यस्थों का एक पूल बनाया जा सके, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न माध्यस्थम् में विशेषज्ञता हो ।

(4) केन्द्र के सचिवालय का रजिस्ट्रार माध्यस्थम् चैंबर के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

माध्यस्थम् अकादमी ।

29. (1) केन्द्र निम्नलिखित के लिए एक माध्यस्थम् अकादमी की स्थापना कर सकेगा,—

(क) मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने, विशिष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के क्षेत्र में विख्यात अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता करने हेतु;

(ख) विकल्पी विवाद समाधान और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने ; और

(ग) अध्यादेश के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुझाव देने ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, अध्यादेश से संबंधित नियमों और विनियमों में संशोधनों, यदि कोई हों, की आवश्यकता के संबंध में केन्द्र को सुझाव देने और इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक तीन सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया जा सकेगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति ।

30. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उन्हें संदेय वेतन और भत्ते ;

(ख) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ;

(ग) धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समितियों की संरचना और कृत्य ;

(घ) धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केन्द्र के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या;

(ङ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्र के रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताएं, अनुभव, चयन की पद्धति और कृत्य;

(च) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी हैं ; और

(छ) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उपबंध किया जाना है या किया जा सकेगा ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

31. (1) केन्द्र, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा, जो ऐसे सभी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने के प्रयोजनों हेतु उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,—

(क) धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन समिति की बैठक का समय और स्थान तथा उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के नियम, जिनके अंतर्गत गणपूर्ति भी है ;

(ख) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्र या किसी समिति की बैठक का समय और स्थान तथा उसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया नियम, जिनके अंतर्गत गणपूर्ति भी है;

(ग) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें;

(घ) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कृत्य ;

(ङ) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन माध्यस्थम् पूल में प्रवेश के लिए मानदंड ; और

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में, सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुपालन के लिए उपबंध किया जाना आवश्यक है ।

नियमों और विनियमों का रखा जाना ।

32. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उस नियम या विनियम के अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

33. केन्द्र उसके अध्यक्ष या सदस्यों या कर्मचारियों और मध्यस्थों के विरुद्‌ध, उनके द्‌वारा की गई ऐसी किसी बात के लिए, जो इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई है या जिसका किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

34. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्‌वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

2019 का अध्यादेश सं. 10

35. (1) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 का निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विवाद समाधान प्रक्रिया का अर्थव्यवस्था पर और हमारे देश में कारबार करने पर व्यापक प्रभाव है । तेजी से बदलते आर्थिक क्रियाकलाप, विवादों का शीघ्र निपटारा, संस्थागत माध्यस्थम् जैसे तंत्र के सृजन और स्थापना की मांग करते हैं । ऐसा करना, वाणिज्यिक विवादों के मुवक्किलों के बीच भरोसा और विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है । वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता का आधार न्यायालयों में मामलों का अत्यधिक संख्या में लंबित रहना भी है ।

2. संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् का केंद्र बनाने की दृष्टि से भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में, अन्य बातों के साथ-साथ, संस्थागत माध्यस्थम् के विकास में बाधाओं की पहचान करने, अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् परिदृश्य को प्रभावित करने वाले विनिर्दिष्ट मुद्दों की परीक्षा करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थम् का संतुलित केंद्र बनाने हेतु योजना तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था ।

3. समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, जो वर्ष 1995 में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निधि से स्थापित किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में समर्थ नहीं रहा है जिसके लिए उसे स्थापित किया गया था । समिति ने यह और सिफारिश की थी कि आईसीएडीआर केवल ऐसे ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों को सम्मिलित करने के लिए, जो संस्था के लिए विश्वसनीयता और सम्मान ला सकें, इसकी प्रशासनिक संरचना को, उसमें पूर्ण सुधार सहित नियंत्रण में ले लेना चाहिए और इसे अग्रणी माध्यस्थम् संस्था के रूप में इसके स्वरूप को विशिष्टता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के केंद्र के रूप में नया रूप दिया जाना चाहिए ।

4. पूर्वोक्त दृष्टि से, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र नामक एक नई संस्था की स्थापना का विनिश्चय, देश में माध्यस्थम् के बेहतर प्रबंधन के लिए और इसे राष्ट्रीय महत्ता की संस्था घोषित करने के लिए किया गया था । इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों का, उसके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किए बिना और एक सोसाइटी के रूप में उसके स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अर्जन करने की आवश्यकता है, जिससे विद्यमान अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का, जिन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई लोक निधियों द्वारा स्थापित किया गया है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र द्वारा संस्थागत माध्यस्थम् का समग्र विकास करने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा उपयोग किया जा सके ।

5. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, 5 जनवरी, 2018 को लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक, अर्थात् नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2018, उस सदन द्वारा 4 जनवरी, 2019 को पारित किया गया और राज्य सभा में लंबित था ।

6. विधेयक में ख्यातिप्राप्त और संस्थागत माध्यस्थम् में ज्ञान और विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों की नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति की परिकल्पना की गई है । नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र का उद्देश्य ऐसे लक्ष्यित सुधार करना था, जिससे उसे घरेलू और

अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए अग्रणी संस्था के रूप में विकसित किया जा सके और माध्यस्थम् का संचालन, सर्वाधिक लागत प्रभावी रूप में एक व्यावसायिक रीति में किया जा सके । विधेयक में एक माध्यस्थम् चैंबर स्थापित करने का प्रस्ताव भी है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त मध्यस्थों का पैनल तैयार किया जाएगा । भारत में मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा एक माध्यस्थम् अकादमी की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है, जिससे उनको विख्यात माध्यस्थम् संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

7. चूंकि विधेयक राज्य सभा में विचारार्थ लंबित था, सांस्थानिक माध्यस्थम् के संवर्धन के हित में या अंतर्राष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र, जिसके अंतर्गत उसके प्रादेशिक कार्यालय भी हैं, के उपक्रमों का अर्जन करना और उन्हें अंतिम रूप से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में विहित करने से पूर्व केंद्रीय सरकार में विहित करना और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को त्वरित और दक्ष विवाद समाधान का संवर्धन करने के लिए एक माध्यमस्थम् हब के रूप में उसके समग्र विकास के लिए एक राष्ट्रीय महता की संस्था के रूप में घोषित करना समीचीन हो गया था ।

8. पूर्वोक्त के मद्देनजर, और संसद् के दोनों सदन सत्र में नहीं थे और ऐसी परिस्थितियों विद्यमान थीं जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए इस विषय में कार्रवाई करना आवश्यक कर दिया, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र अध्यादेश, 2019, 2 मार्च, 2019 को अन्य बातों के साथ अंतरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केन्द्र के उपक्रमों का अर्जन करने के लिए प्रख्यापित किया गया था । तत्पश्चात्, सोलहवीं लोक सभा 25 मई, 2019 को विघटित कर दी गई थी और राज्य सभा में लंबित नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2019 व्यपगत हो गया ।

9. तदनुसार, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विधेयक, 2019 उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **रवि शंकर प्रसाद**

19 जून, 2019

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—अधिनियम का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करता है ।

खंड 2—विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाओं का उपबंध करता है ।

खंड 3—शाश्वत उत्तराधिकार, सामान्य मुद्रा, संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति, संविदा करने की शक्ति और अपने नाम से वाद लाने और उसके विरुद्ध वाद लाए जाने के साथ नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के नाम से निगमित निकाय की स्थापना करने का उपबंध करता है ।

खंड 4—नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को नई दिल्ली मुख्यालय और भारत तथा विदेशों में अन्य स्थानों पर न्यायपीठों के साथ राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का उपबंध करता है ।

खंड 5—केंद्र की संरचना का उपबंध करता है । केंद्र, एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो अथवा एक विख्यात व्यक्ति जो माध्यस्थम्, विधि या प्रबंध के संचालन या प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो, दो विख्यात व्यक्ति जो पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्यों के रुप में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों माध्यस्थम् संस्थाओं में सारवान ज्ञान और अनुभव रखते हों, अंशकालिक सदस्य के रुप में वाणिज्य और उद्योग के मान्यताप्राप्त निकाय का एक प्रतिनिधि और विधि और न्याय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय प्रत्येक से एक सदस्य तथा पदेन सदस्य के रुप में केंद्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, से मिलकर बनेगा ।

खंड 6—नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के निबंधनें और शर्तें, वेतन और भत्ते तथा अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्तों का उपबंध करता है ।

खंड 7-- अंतरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों का अधिकार, हक और हित विनिर्दिष्ट तारीख को और से केंद्रीय सरकार को अंतरण और उसमें विहित होने का उपबंध करता है ।

खंड 8—यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार में निहित होना के अंतर्गत आस्तियां अधिकार, पटटाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी संपत्ति (जंगम और स्थावर), जिसके अंतर्गत भूमि, भवन संकर्म, परियोजना लिखत, आटोमोबाइल और अन्य यान, नकद शेष, निधियां जिसके अंतर्गत आरक्षित निधियां, विनिधान और लेखाबही, जो सोसायटी के भाग हैं या उससे संबंधित हैं, सम्मिलित हैं, होना समझा जाएगा । यह यह भी उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार में निहित संपत्तियां किसी न्यास, बाध्यता, आड़मान, प्रभार, धारणाधिकार और अन्य सभी विल्लंगमों और किसी कुर्की, व्यादेश, डिक्री या किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी का ऐसी संपत्तियों या आस्तियों के किसी रीति में प्रयोग करने को निर्बधित करने के आदेश से मुक्त और उन्मोचित होगी या ऐसे संपूर्ण परिसंपत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग के संबंध में किसी प्रापक की नियुक्ति करने को प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा । यह और उपबंध करता है कि अंतरराष्ट्रीय

विकल्पी माध्यस्थम् केंद्र को किसी उपक्रम के संबंध में अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत जो केंद्रीय सरकार में निहित है विनिर्दिष्ट तारीख को और उसके पश्चात् प्रवृत्त रहेगी और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र को ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा मानों ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को अनुदत्त किए गए हैं और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र उस शेष अवधि के लिए उन्हें प्रतिधारित करेगा । यह और उपबंध करता है कि किसी संपत्ति या आस्ति जो केंद्रीय सरकार या नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र में निहित है, के संबंध में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही चाहे वह किसी भी प्रकृति की हो अंतरराष्ट्रीय विकल्पी माध्यस्थम केन्द्र द्वारा या उसके विरुद्ध आरंभ की जाती है या की जानी है का उपशमन नहीं किया जाएगा और वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को, अभियोजन को जारी रखा जा सकेगा और उसे केंद्रीय सरकार या नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के विरुद्ध प्रवर्तन में लाया ला सकेगा ।

खंड 9--यह उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी अवधि की बाबत किसी उपक्रम के संबंध में प्रत्येक दायित्व सोसायटी के विरुद्ध और न कि केंद्रीय सरकार के विरुद्ध प्रवृतनीय होगा ।

खंड 10—यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे उपक्रमों के संबंध में सोसायटी के अधिकार, हक और हित जो केंद्रीय सरकार में निहित थे या तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी पूर्वोतर या पश्चातवर्ती तारीख को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र में निहित होंगे । यह और उपबंध करता है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र ऐसे निहित होने की तारीख को और से ऐसे उपक्रमों की बाबत स्वामी समझा जाएगा और ऐसे उपक्रमों की बाबत केंद्रीय सरकार के हित और उत्तरदायित्व ऐसे निहित होने की तारीख से नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र के अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

खंड 11—केंद्रीय सरकार द्वारा निदेश जारी जाने पर नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में निहित उपक्रमों के कार्यों के साधारण अधीक्षण, निदेश, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए और जहां ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर जो नियत किया जाए, उपक्रमों के लिए अभिरक्षक, जो केंद्रीय सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा, में निहित करने का उपबंध करता है ।

खंड 12—यह उपबंध करता है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में उपक्रमों के प्रबंधन को निहित करने या किसी अभिरक्षक की नियुक्ति पर ऐसे निहित करने या नियुक्ति से तुरंत पूर्व उपक्रमों के प्रबंधन के सभी भार साधक सभी व्यक्ति यथास्थिति, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र या अभिरक्षक को अपनी अभिरक्षा में उपक्रमों से संबंधित सभी आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त करने के लिए आबद्ध होंगे । यह और उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार अभिरक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी

और अभिरक्षक किसी भी समय केंद्रीय सरकार से ऐसी रीति जिसमें उपक्रमों के प्रबंधन का संचालन किया जाना है, के संबंध में या ऐसे प्रबंधन के अनुक्रम में उदभूत किसी विषय के संबंध में अनुदेश मांग सकेगा । यह और उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास या जिसके नियंत्रणाधीन विनिर्दिष्ट तारीख को उपक्रमों के संबंध में कोई बहियां दस्तावेज या अन्य कागजपत्र हैं ऐसी बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागजों के लिए जवाबदेय होगा और ऐसे दस्तावेजों को केंद्रीय सरकार या अभिरक्षक या नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र जैसा भी मामला हो को परिदत्त करेगा । यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार या नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र, ऐसे सभी उपक्रमों जो केन्द्रीय सरकार या नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र में निहित हो चुके हैं, को कब्जे में लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं । यह और उपबंध करता है कि अंतरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र ऐसी कालावधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात करे, उपक्रम से संबंधित नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ पर सभी परिसम्पत्तियां और आस्तियां की एक माल सूची प्रस्तुत करेगा ।

खंड 13—यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक या नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र विनिर्दिष्ट तारीख तक सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए किसी धन, जो अंतरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र के उपक्रमों की बाबत शोध्य है जो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक या नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में निहित है प्राप्त करने के हकदार होंगे और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ के पश्चात् इस बात के होते हुए भी वसूली के हकदार होंगे कि ऐसी वसूली उक्त प्रारंभ के पूर्व की अवधि से संबंधित है ।

खंड 14—नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के उद्देश्यों के लिए उपबंध करता है अर्थात्, स्वयं का अंतरराष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थम् संचालित करने के लिए एक अग्रणी संस्था के रूप में विकास करने के लिए लक्षित सुधार करना ; माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता और अन्य विकल्पी विवाद समाधान विषयों में अनुसंधान और अध्ययन का संवर्धन करना, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा संगोष्ठियां और सेमिनार आयोजित करना ; सुलह, मध्यकता और माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना ; प्रत्यायित माध्यस्थों, सुलहकर्ताओं और मध्यकर्तों का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तर पर या विशेषज्ञों का सर्वेक्षकों और जांचकर्ताओं के रूप में पैनल रखना ; अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के साथ नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की माध्यस्थम् और सुलह में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में साख को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना ; नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के कार्यकलापों का संवर्धन करने के लिए भारत और विदेश में सुविधाएं स्थापित करना ; नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों के विभिन्न ढंगों के लिए पैरामीटर अधिकथित करना ; और ऐसे अन्य उद्देश्य, जो केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से उचित समझे जाएं ।

खंड 15—नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के कृत्यों के लिए उपबंध

करता है, जिसके अन्तर्गत अत्यन्त वृत्तिक रीति में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू माध्यस्थमों और सुलह के संचालन को सुकर बनाने; राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माध्यस्थमों और सुलह के संचालन के लिए सस्ती और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने; वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में अध्ययनों का संवर्धन करने और विवाद समाधान की प्रणाली में सुधारों का संवर्धन करने; के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में अध्यापन प्रारंभ करने और विधि तथा प्रक्रियाओं के ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करने और प्रमाणपत्रों तथा अन्य शैक्षणिक या वृत्तिक उपाधियों को प्रदान करने; वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र और अन्य संबद्ध विषयों में ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, जो माध्यस्थम, सुलह और मध्यकता संबंधी कार्यवाही कर रहे हैं; वैकल्पिक विवाद समाधान का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अन्य सोसाइटियों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करने ; और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जो वैकल्पिक विवाद समाधान का संवर्धन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं, भी हैं।

खंड 16—यह उपबंध करता है कि कोई रिक्ति, नियुक्ति में त्रुटि या प्रक्रिया में अनियमितता नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की कार्रवाईयों को अविधिमान्य नहीं करेगी ।

खंड 17—अध्यक्ष, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य द्वारा लिखित में केन्द्रीय सरकार को संबोधित सूचना देकर त्यागपत्र देने की प्रक्रिया का उपबंध करता है । यह भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य को शीघ्र ही अपना पद त्याग करने की अनुमति दी जाएगी, या ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

खंड 18—ऐसी परिस्थितियां विनिर्दिष्ट करता है जिसमें केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के किसी सदस्य को हटा सकती है जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र भी है कि यदि वह—(क) यदि वह कोई अननुमोचित दिवालिया है; (ख) वह अपने कार्यकाल के दौरान (अंशकालिक सदस्य के सिवाय) किसी भी समय किसी संदाययुक्त नियोजन में नियोजित हुआ है; (ग) उसे किसी ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; (घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनके कारण सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; (ङ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है; (च) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, यह भी उपबंध करता है कि किसी सदस्य को उस उपधारा के खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त उसे किए गए किसी प्रतिनिर्देश पर, उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट न किया गया हो कि सदस्य को ऐसे आधार पर या आधारों पर हटाया जाना आवश्यक है ।

खंड 19—यह नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा, उसके कृत्यों के

विभिन्न पहलुओं के निर्वहन के लिए विभिन्न समितियों के गठन का उपबंध करता है । यह और उपबंध करता है कि समितियों की संरचना और उनके कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं । यह और उपबंध करता है कि समिति की बैठक ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर होगी और वह बैठक में गणपूर्ति समेत कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

खंड 20—यह उपबंध करता है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में, अन्य सदस्यों द्वारा उनके बीच में से चुना गया सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करेगा । यह और उपबंध करता है कि अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित किए जाएं और वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा लिए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन किया जाएगा । यह और उपबंध करता है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । यह और उपबंध करता है कि ऐसे सभी प्रश्नों, जो किसी बैठक के दौरान नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के समक्ष आते हैं, का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास निर्णायक मत होगा । किसी बैठक में, जिसके समक्ष आने वाले प्रश्नों के संबंध में यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और उनका निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर करेगा तथा जहां ऐसे किसी आवेदन का निपटारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जा सका था, वहां नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेगा। यह और उपबंध करता है कि अध्यक्ष नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की बैठकों में भाग लेने के लिए किसी विशेषज्ञ को, जो सदस्य नहीं है, आमंत्रित कर सकेगा, किन्तु ऐसा आमंत्रिती बैठक में मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।

खंड 21—यह नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करने का उपबंध करता है, जो नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और वह नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र और सचिवालय के बीच संपर्क करेगा तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं या नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं । यह मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, अर्हताओं और सेवा के निबंधनों और शर्तों का उपबंध करता है जो वह होगीं जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

खंड 22—यह साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के प्रत्यायोजन का इस अधिनियम के अधीन (विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र पर अधिरोपित या प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों को तथा शर्तों और निबंधनों, यदि कोई हों, जिनके अधीन रहते हुए, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के मुख्य

कार्यपालक अधिकारी या किसी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा शक्तियों का उपयोग किया जाएगा और कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 23—यह नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के सचिवालय का उपबंध करने के लिए है जो रजिस्ट्रार, काउंसेल और ऐसी संख्या में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर बनेगा तथा उनकी अर्हताएं, अनुभव, चयन की पद्धति और कृत्य वे होगें जो विहित किए जाएं ।

खंड 24—यह उपबंध करने के लिए है कि केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा सम्यक् उपयोजन करने के पश्चात् विधि द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को ऐसी धनराशियों का और ऐसी रीति में, जो वह उपयुक्त समझे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए संदाय कर सकेगी ।

खंड 25—यह उपबंध करने के लिए है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र एक निधि का अनुरक्षरण करेगा जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा उपबंधित सभी धन ; माध्यस्थम्, मध्यकता, माध्यस्थता या अन्य कार्यवाहियों के दौरान या उसके सम्बन्ध में प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार ; पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा प्राप्त सभी धन ; संदान, अनुदान, अभिदाय और अन्य स्त्रोतों से आय के रूप में नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा प्राप्त सभी धन ; और विनिदान आय से प्राप्त सभी रकमों का प्रत्यय किया जाएगा । यह और उपबंध करता है कि निधि में प्रत्यय किए गए सभी धन को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या ऐसी रीति में उसका विनिधान किया जाएगा जो नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा विनिश्चय किया जाए और निधि का उपयोग नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के सदस्यों के वेतन और अन्य व्ययों, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय है, के लिए किया जाएगा ।

खंड 26—यह उपबंध करने के लिए है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाने वाले प्ररूप और रीति में लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है। यह और उपबंध करता है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी और इस सम्बन्ध में उपगत किसी व्यय का नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा संदाय किया जाएगा । यह और भी उपबंध करता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध मे वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के हैं । यह भी उपबंध करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा यथा सत्यापित लेखे उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

खंड 27—यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी उपक्रम के संबंध में आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा ऐसी रीति में जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, करवाया जाएगा और उसके संबंध में किए गए किसी दावे के संबंध में किसी संदाय का समाधान उसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र और केंद्रीय सरकार के बीच कराया जाएगा और उसका संदाय यथास्थिति, अंतरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केंद्र या केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जो भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

खंड 28—एक माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना का उपबंध करता है जो मध्यस्थों को पैनलबद्ध करेगा और साथ ही विख्यात मध्यस्थों के पैनल में प्रविष्टि हेतु आवेदनों की समीक्षा करेगा । आगे यह उपबंधित करता है कि माध्यस्थम् चैंबर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभव प्राप्त विख्यात माध्यस्थम् व्यवसायियों और ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके पास वैकल्पिक विवाद समाधान और सुलह के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है । यह भी उपबंधित करता है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र, विनियमों द्वारा काडर के पैनल में प्रवेश हेतु मानदंड अभिकथित करेगा जिससे विख्यात मध्यस्थों का एक पूल बनाया जा सके, जिनके पास अंतरराष्ट्रीय या वाणिज्यिक माध्यस्थम् से भिन्न माध्यस्थम् में विशेषज्ञता हो और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र का रजिस्ट्रार माध्यस्थम् चैंबर के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

खंड 29—यह उपबंध करता है कि नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र एक माध्यस्थम् अकादमी की स्थापना कर सकेगा जो मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने, विशिष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के क्षेत्र में विख्यात अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् संस्थाओं के साथ प्रतियोगिता करने हेतु और वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में अनुसंधान करने और अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सुझाव दे सकेगा । आगे एक स्थायी तीन सदस्यों की समिति के गठन का उपबंध किया जाता है जो अधिनियम के अधीन जारी नियमों और विनियमों में संशोधनों, यदि कोई हो, की आवश्यकता के संबंध में सुझाव दे सकेगा ।

खंड 30—यह केंद्रीय सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

खंड 31—यह नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र को, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । यह और भी उपबंध करता है कि ऐसा विनियम इस अधिनियम के उपबंधों से और बनाए गए नियमों से सुसंगत होना चाहिए ।

खंड 32—यह उपबंधित करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा बनाये गए प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 33—यह उपबंधित करता है कि अध्यक्ष या सदस्य या नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र या इसके कर्मचारियों या मध्यस्थों के विरुद्ध, उनके द्वारा की गई ऐसी किसी बात के लिए, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए

नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका किया जाना आशयित है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी ।

खंड 34—यह उपबंधित करता है कि यदि अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेशों द्वारा उस कठिनाई को दूर करने के लिए, जैसा कि आवश्यक समझती है, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों । यह और भी उपबंधित करता है कि कोई भी ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा। यह भी उपबंधित करता है कि इस खंड के अधीन बनाए गए प्रत्येक आदेश को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 35—नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 की निरसन और व्यावृत्तियों के लिए उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 का उपखंड (1) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना का उपबंध करने के लिए है और उपखंड (2) यह उपबंध करने के लिए है कि केन्द्र जंगम और स्थावर दोनों सम्पत्ति को धारण कर सकेगा, अर्जित कर सकेगा और उसका निपटान कर सकेगा ।

2. विधेयक के खंड 6 का उपखंड (2) और उपखंड (4) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के निबंधनों और शर्तों, संदेय वेतन और भत्तों तथा अंशकालिक सदस्यों को संदेय अन्य भत्तों का उपबंध करने के लिए है ।

3. विधेयक का खंड 7 यह उपबंध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट तारीख से ही अंतरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केन्द्र के उपक्रम केन्द्रीय सरकार को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. विधेयक का खंड 10 यह उपबंध करने के लिए है कि अंतरराष्ट्रीय विकल्पी विवाद समाधान केन्द्र के उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकार और दायित्व अधिसूचना में विहित तारीख से ही नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र में विहित हो जाएंगे और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र ऐसी संपत्तियों के सम्बन्ध में स्वामी बन गया समझा जाएगा ।

5. खंड 11 के उपखंड (2) तथा उपखंड (3) केन्द्रीय सरकार को ऐसे पारिश्रमिक पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निहित किया जाए पर उपक्रमों का अभिरक्षक नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है ।

6. विधेयक का खंड 14 माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता और अन्य विकल्पी विवाद समाधान विषयों में अनुसंधान और अध्ययन का संवर्धन करने, शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने तथा संगोष्ठियां और सेमिनार आयोजित करने और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के कार्यकलापों का भारत और विदेश में संवर्धन करने का उपबंध करने के लिए है ।

7. विधेयक का खंड 19 केन्द्र के कृत्यों के विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों को संभालने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा विभिन्न समितियों का गठन करने के लिए है ।

8. विधेयक के खंड 21 का उपखंड (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है जो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा । उपखंड (2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा के निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है ।

9. विधेयक के खंड 23 का उपखंड (1) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के सचिवालय की स्थापना का उपबंध करता है । उपखंड (2) सचिवालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताओं का उपबंध करने के लिए है ।

10. विधेयक का खंड 24 नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों का उपबंध करने के लिए है ।

11. विधेयक का खंड 25 केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध सभी धन; माध्यस्थम, सुलह, मध्यस्थता या अन्य कार्यवाहियों के दौरान या उनके संबंध में प्राप्त सभी

फीसों और अन्य प्रभारों; पक्षकारों को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं के संबंध में प्राप्त सभी धन; नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र द्वारा संदान, अनुदान, अभिदाय और आय के रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी धन; विनिधान आय से प्राप्त सभी रकमों का प्रत्यय करने के लिए एक निधि का अनुरक्षण किया जाएगा और उसे किसी ऐसे बैंक या बैंक में जमा किया जाएगा या उसका विनिधान ऐसी रीति में किया जाएगा जो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र द्वारा विनिश्चय किया जाए, का उपबंध करने के लिए है । इस निधि का उपयोग सदस्यों के वेतन और अन्य भत्तों तथा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के व्ययों को चुकाने में किया जाएगा जिसके अंतर्गत उसकी शक्तियों के उपयोग और कर्तव्यों के निर्वहन में उपगत व्यय है ।

12. विधेयक का खंड 28 माध्यस्थों को पैनलीकृत करने के लिए माध्यस्थम् चैंबर की स्थापना करने, विख्यात माध्यस्थों को पैनल में प्रवेश देने के लिए और आवेदनों की संवीक्षा करने का उपबंध करने के लिए है ।

13. विधेयक का खंड 29 माध्यस्थों को विशेषकर अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए एक माध्यस्थम अकादमी की स्थापना का उपबंध करता है ताकि वह विख्यात अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थ संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करे सके; वैकल्पिक विवाद समाधान और अनुषंगी क्षेत्रों आदि में अनुसंधान संचालित करने का उपबंध करने के लिए है ।

14. यह आक्कलन किया गया है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र की स्थापना पर पहले वर्ष में लगभग छह करोड़ बत्तीस लाख चवालीस हजार और चार सौ रुपए, दूसरे वर्ष छह करोड़ अटठाइस लाख सताइस हजार आठ सौ चालीस रुपए और तीसरे वर्ष छह करोड़ तिरानवें लाख, पैंतीस हजार और तीन सौ चौबीस रुपए प्रारंभिक स्थापना व्यय के रूप में व्यय होंगे, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते हैं । यह आशा की जाती है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के प्रमुख आवर्ती व्ययों को केन्द्र द्वारा प्राप्त की जाने वाली फीस और प्रभारों से पोषित किया जाएगा ।

15. विधेयक को यदि अधिनियमित किया जाता है और प्रचालन में लाया जाता है तो भारत की संचित निधि में से आवर्ती या गैर-आवर्ती प्रवृत्ति का कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के सम्बन्ध में ज्ञापन

विधेयक के खंड 11 का उप-खंड (3) केन्द्रीय सरकार को खंड 11 के उप-खंड (2) के अधीन नियुक्त अभिरक्षक का पारिश्रमिक नियत करने के लिए सशक्त करता है ।

2. विधेयक के खंड 18 का उप-खंड (2) उच्चतम न्यायालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए संदर्भ पर सदस्य को हटाये जाने के लिए प्रक्रिया विहित करने हेतु सशक्त करता है ।

3. विधेयक का खंड 30 केन्द्रीय सरकार को उप-खंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में विधेयक बनाने के लिए सशक्त करता है जो अन्य बातों के साथ, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की निबंधनें और शर्तें तथा संदेय वेतन; अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते; समितियों की संरचना और कृत्य; नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या; नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के रजिस्ट्रार, काउंसेल और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी की अर्हता, अनुभव, चयन की पद्धति और कृत्य; लेखाओं के वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी हैं, के सम्बन्ध में है ।

4. विधेयक का खंड 31 नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपखंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है जो अन्य बातों के साथ, समिति की बैठक का समय और स्थान तथा उनके कारबार के संव्यवहार के सम्बन्ध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के नियम, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी हैं; नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र या किसी समिति की बैठक का समय और स्थान तथा उसके कारबार के संव्यवहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियम, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी हैं; मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति, अर्हता, सेवा के निबंधन और शर्तें; मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां और कृत्य; ख्यातिप्राप्त मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश के लिए मानदंड, के सम्बन्ध में है ।

5. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनके लिए नियम या विनियम बनाये गए हैं, वे प्रक्रिया के मामले और प्रशासनिक ब्यौरे के हैं तथा इनको विधेयक में दिया जाना व्यावहारिक नहीं है । विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन इसलिए सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—988LS(CRC)—28-6-2019.